न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/59/2017

उनवान

1. हेमराज पुत्र नारायण जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. प्रभू पुत्र हरजी जंगलिया निवासी मालीखेडा उर्फ राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

वादी/रेस्पोडेण्ट

2. नन्दा पुत्र भागु माली निवासी मालीखेडा उर्फ राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. भैरू पुत्र भागु माली निवासी मालीखेडा उर्फ राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 137/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2016

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री कौशल जांगीड, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ए आर पठान ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के खाता संख्या 129 में आराजी नम्बर 566/135 रकबा 3 बीघा स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी की आराजियात पर नाजायज अतिक्रमण कब्जा कर लिया, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी के साथ लडाई झगडा किया । जिस पर वादी ने पत्थरगढी किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर प्रकरण संख्या 292/2014 है जिसका निर्णय दिनांक 20.5.2014 को होने पर दिनांक 26.6.2014 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई तब वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी की उक्त आराजी नम्बर 566/135 रकबा 3 बीघा में से 04 बिस्वा भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा मौके पर मौका पर्चा बनाया गया एवं पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करवाकर कब्जा प्राप्त करे। इस कारण वादी को उक्त वाद पत्र पेश करने की नौबत आई है।

2. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 566/135 रकबा 03 बीघा में से 04 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3 ने 01 बिस्वा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जिसका कब्जा हटाया जाकर कब्जा मन मीन प्रोफिट्स के वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी। दिनांक 1.3.2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने की धमकी दी व न्यायालय से दावा जीत जाने की बात कही , इस पर अपीलार्थी ने जानकारी कर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 6.3.2017 को निर्णय की नकल होने पर प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से अंदर अवधि अपील प्रस्तुत कर दी गई । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस न तो अपीलार्थी को प्राप्त हुए एवं न ही अपीलार्थी को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को रखने संबंधी नोटिस ही प्राप्त हुआ है। जिससे अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका एवं वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही कानून को ताक में रखकर मकमकसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन किया कि वास्तविकता इस प्रकार है कि अपीलार्थी व अन्य खातेदारों की आराजी में आने जाने का रास्ता विवादग्रस्त आराजी में है। जिसके संबंध में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। मात्र परेशान करने व अपीलाण्ट की भूमि को हडप करने की नियत से उक्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर राजस्व पटवारी से मिलाभगती कर गलत मौका पर्चा बनावा कर वाद पत्र पेश किया है। जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में निस्तारित किया गया है। जबकि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि माननीय सुप्रिम कोर्ट के प्रतिपादित निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जालोर सिंह में पक्षकार की सहमति के बिना लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण को शून्य माना है। अपीलाधीन निर्णय भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रकरण में तनकियात भी कायम नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किया जावे।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । उनका यह भी निवेदन है कि बावजूद सूचना अपीलार्थी / प्रतिवादी संख्या 3 के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात के आधार पर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थी का निवेदन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 21.7.2014 को नोटिस जारी किया गया था एवं तारीख पेशी दिनांक 16.9.2014 नियत थी। उक्त नोटिस पर हेमराज के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बाद तामील पेश किया गया है। इसके विपरीत अपीलार्थी का कथन है कि उसे किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस की पुश्त पर किये गये हस्ताक्षर एवं अपील मेमो में किये गये हस्ताक्षर में भिन्नता है। जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस की प्रोपर रूप से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तामील होना प्रश्नगत होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग ली थी । जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रसारित किया गया है।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.4.2016 को प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध 200/—रूपये की कॉस्ट पर जवाब दावे में आगामी पेशी दिनांक 11.8.2016 को नियत रखा गया था। जब दिनांक 21.4.2016 को 200/—रूपये की कॉस्ट पर अपीलाण्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अंतिम अवसर दिया जा कर प्रकरण जवाब दावा स्तर पर लंबित था, तब नियत तारीख पेशी दिनांक 11.8.2016 से पूर्व ही लोक अदालत शिविर में 1.7.2016 को प्रकरण रखा जाकर मात्र एक पक्ष को सुना जाकर निर्णित किया जाना पत्रावली से प्रकट हुआ है। प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व पक्षकारान को सूचना पत्र द्वारा सूचित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर में रखे जाने की सूचना पक्षकारान को दिये जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत बाद तामील कोई सूचना पत्र अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त व जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने व प्रतिरक्षण का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था। पत्रावली से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व ही लोक अदालत कैम्प मे रखा गया है जिसकी कोई सूचना पक्षकारान को दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वंचित रह गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, रेकार्ड के आधार पर गुणावगगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.9.19 को उपस्थित रहे।

15. निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
भीलवाड़ा (राज.)